(143)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4335–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–9–2012 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 142/अपील/2007–08.

.....

1–शिवराम पिता नरसिंह

2–राजेश पिता शिवराम

3–बलीराम पिता शिवराम

तीनों निवासी बीड़ खुर्द तहसील व जिला खरगोन

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–नारायण पिता नरसिंह

2–छीतू पिता नरसिंह

3–श्रीमती भूरीबाई पिता नरसिंह(पति राधेश्याम) मृत वारिसानः–

अ–सुभाष पिता राधेश्याम यादव

ब–संजु पिता राधेश्याम यादव

निवासीगण ग्राम घुघरिया खेडी

तहसील गोगावां जिला खरगोन

स–नीलूबाई पिता राधेश्याम यादव

निवासी बामखल तहसील कसरावद जिला खरगोन

द–राधेश्याम पिता छगन यादव

निवासी ग्राम घुघरिया खेडी

तहसील गोगावां जिला खरगोन

.....अनावेदकगण

श्री मोहन पाटीदार, अभिभाषक– आवेदकगण

श्री बी0के0गुप्ता, अभिभाषक– अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/9/13 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–9–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा ग्राम पंचायत के प्रस्ताव कमांक 12/8 दिनांक 26–1–2003 एवं नायब तहसीलदार के राजस्व प्रकरण कमांक 4/अ–27/2003–04 में पारित आदेश दिनांक 12–3–2004 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–10–07 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत के प्रस्ताव एवं नायब तहसीलदार का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 26–9–2012 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी एवं नायब तहसीलदार व नामान्तरण पंजी पर पारित ठहराव प्रस्ताव कमांक 12/8 दिनांक 26–1–2003 निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) नरसिंह भूमिस्वामी द्वारा अपने जीवनकाल वर्ष 1984 में आवेदक कमांक 1 एवं नारायण के मध्य प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा कर दिया गया था और नारायण से बटवारे में मिली भूमि उसके द्वारा विकय कर दिये जाने के पश्चात् दुर्भावना पूर्वक आवेदकगण की भूमि लेने की मंशा से अपर आयुक्त के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी जिसमें हस्तक्षेप करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(2) सर्वे कमांक 56/1 रकबा 4 एकड़ भूमि आवेदक कमांक 1 के नाम थी जिसका बटवारा उसके द्वारा अपने पुत्रों के मध्य किया गया है, इसके बावजूद अपर आयुक्त द्वारा अपील स्वीकार करने में त्रुटि की गई है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का कोई स्वत्व नहीं है इसके बावजूद भी अपील स्वीकार करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(4) तहसीलदार द्वारा विधिवत् इश्तिहार का प्रकाशन कराया गया है और विधिक प्रकिया का पालन करते हुये नामान्तरण आदेश पारित किया गया है जिसे निरस्त करने में त्रुटि की गई है, इसलिये अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

(5) अपर आयुक्त के समक्ष प्रकरण विचारण रहने के दौरान अनावेदक कमांक 3 की मृत्यु हो गई थी उसके पश्चात् उसका नाम कम नहीं कर मृत व्यक्ति के विरूद्ध आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि ग्राम पंचायत एवं तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण की भूमि पर आवेदक कमांक 1 का अवैधानिक रूप से नामान्तरण किया गया था इसलिये उक्त आदेशों को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि पैतृक भूमि है जिसमें मृतक भूमिस्वामी के सभी वारिसानों का बराबर हक है अतः आवेदक कमांक 1 का नामान्तरण करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गई थी और उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसीलदार के आदेश की पुष्टि की गई थी अतः अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई विधि विपरीत कार्यवाही नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि का आवेदक कमांक 1 द्वारा अपने पुत्रों के मध्य बटवारा कर दिया गया है जो कि अवैधानिक है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि

उनके द्वारा यह मान्य किया गया है कि तहसीलदार द्वारा मृतक भूमिस्वामी के सभी वारिसानों को सूचना नहीं दी गई है, ऐसी स्थिति में या तो अपर आयुक्त को स्वयं सभी पक्षों को सुनकर आदेश पारित करना था अथवा इस संबंध में विचारण न्यायालय को निर्देश के साथ भेजना था, परन्तु उनके द्वारा केवल बटवारा आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार करने में वैधानिक एवं नियमित कार्यवाही की गई है इसलिये उनके आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाये कि उभयपक्ष सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों को सूचना एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुये प्रकरण में पुनः गुणदोष पर आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–9–2012 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर